छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्र. 36/2006

याचिकाकर्ता : हरीश कुमार अग्रवाल, पिता श्री सत्यनारायन अग्रवाल, आयु लगभग 41 वर्ष, निवासी– अकलतरा, जिला जांजगीर–चांपा (छ. ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण :

1) छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उद्योग विभाग, डी. के. एस भवन, मंत्रालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।
2) कलेक्टर, जिला जांजगीर – चांपा (छ. ग.)
3) अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदूषण संरक्षण बोर्ड, रायपुर (छ. ग.)
4) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, जांजगीर, जिला जांजगीर–चांपा (छ. ग.)
5) मेसर्स केवीके बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, गाँव–अमरताल, जिला– जांजगीर–चांपा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत प्रस्तुत रिट याचिका

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम : माननीय श्री एस. आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश

और माननीय श्री डी. आर. देशमुख, न्यायाधीश

रिट याचिका क्र. 536/2006

याचिकाकर्ता : हरीश कुमार अग्रवाल, पिता श्री सत्यनारायन अग्रवाल, आयु लगभग 41 वर्ष, निवासी– अकलतरा, जिला जांजगीर–चांपा (छ. ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण :

1) छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उद्योग विभाग, डी. के. एस भवन, मंत्रालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।
2) कलेक्टर, जिला जांजगीर – चांपा (छ. ग.)
3) अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदूषण संरक्षण बोर्ड, रायपुर (छ. ग.)
4) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, जांजगीर, जिला जांजगीर–चांपा (छ. ग.)
5) मेसर्स केवीके बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, गाँव–अमरताल, जिला– जांजगीर–चांपा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति: : याचिकाकर्ता के लिए श्री बी. डी. गुरु, अधिवक्ता।

: राज्य/उत्तरवादी क्र. 1, 2 और 4 के लिए श्री विनय हरित, शासकीय अधिवक्ता।

: उत्तरवादी क्र. 3 के लिए श्री वी. वी. एस. मूर्ति, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री हेमंत सोलापुरकर, अधिवक्ता।

मौखिक आदेश

(दिनांक 7 फरवरी, 2006)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश **मुख्य न्यायाधीश एस. आर. नायक** द्वारा पारित किया गया:–

क्या हमें यह कहना चाहिए कि जनहित याचिका के रूप में दायर यह रिट याचिका पूरी तरह से गैर–जिम्मेदाराना होने के साथ–साथ अन्यायपूर्ण भी है। यह कथन किया गया है कि हाल ही में चांपा जिले के अमरताल में एक जैव–तकनीकी बिजली संयंत्र स्थापित किया गया है। यह रिट याचिका इस आशंका के साथ दायर की गई है कि जब जैव तकनीकी बिजली संयंत्र काम करना शुरू कर देगा, तो यह संयंत्र परिसंकटमय गैसों और अन्य प्रकार के कचरे सहित राख और जैव गैसों का उत्सर्जन करेगा, जिससे क्षेत्र में भारी प्रदूषण होगा। जब यह आरोप है जैसा कि कंडिका 5 में दर्शित है, तो केवल एक अन्य कंडिका जिसमें उस जानकारी के स्रोत का प्रकटीकरण किया गया है, वह कंडिका 5 है। कंडिका 5 में, यह कथन किया गया है कि क्षेत्र के लोगों को स्रोतों से पता चला कि उत्तरवादी क्र. 5 ने जल और वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, 1981 (संक्षेप में "अधिनियम") के तहत विहित मानदंडों और प्रक्रिया का पालन नहीं किया है और क्षेत्र में प्रदूषण की सुरक्षा के लिए कोई प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित नहीं किया है। यदि हम ऐसा कह सकते हैं, तो याचिकाकर्ता का न्यायालय को सूचना के स्रोत का भी प्रकटीकरण नहीं करना न्यायानुमत नहीं है। दूसरा, यह आरोप कि पांचवें उत्तरवादी ने अधिनियम के तहत विहित मानदंडों और प्रक्रिया का पालन नहीं किया है, यदि हम ऐसा कह सकते हैं, तो यह उतना ही अस्पष्ट है जितना हो सकता है और इस आरोप की सत्यता को सत्यापित या परखा नहीं जा सकता है। तर्क के दौरान भी, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने, हमारे पूछने के बावजूद, याचिकाकर्ता की जानकारी के स्रोत का खुलासा नहीं किया और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उसने केवल यह कहा कि क्षेत्र के लोगों को उपरोक्त खतरे की आशंका है। न्यायालयों द्वारा अक्सर यह अभिनिर्धारित और दोहराया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत जनहित याचिका दायर करने से पहले एक स्वतंत्र लोक चरित्र का कर्तव्य है कि वह आवश्यक तथ्यों और विवरणों का पता लगाने के लिए कड़ी मेहनत करे और उसे इसे संबंधित विभाग या संबंधित विभाग या प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाना चाहिए और केवल प्रशासन के ऐसे उच्च अधिकारियों द्वारा उचित कार्रवाई करने से इनकार करने की स्थिति में ही वह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत संवैधानिक न्यायालयों से संपर्क कर सकता है। पूरी रिट याचिका याचिकाकर्ता की सुनी–सुनाई बातों और कल्पना पर आधारित है और इसमें कोई आवश्यक तथ्यात्मक आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके आधार पर हम इस रिट याचिका को जनहित याचिका मानकर जनहित में आगे की कार्रवाई कर सकें। इसलिए रिट याचिका खारिज की जाती है। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
मुख्य न्यायाधीश

सही/-
दिलीप रावसाहब देशमुख
न्यायाधीश

सुब्बु

= = = = 0000= = = =

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**